स्कूल में सक्रिय नागरिकता

सुमन जोशी

पिछला साल पूरे विश्व के लिए अभूतपूर्व रहा। *कोविड-19* महामारी के कारण न केवल लाखों जानें गईं बल्कि इसने सामान्य जीवन पर भी कहर बरपाया है। जैसा कि इस रिपोर्ट[1] से पता चलता है, इस व्यवधान ने गरीब वर्गों को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया। अमीरों और वंचितों के बीच पहले से ही मौजूद चौड़ी खाई को और भी गहरा कर दिया। जिस अन्य क्षेत्र में इस आपदा का तीव्र प्रभाव महसूस किया गया है, वह शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ बहुत थोड़े-से लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट और ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा है लेकिन बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका पूरा साल ही नष्ट हो गया है।[2]

माना कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी, लेकिन इस आपदा से भला हमें कौन-सी चीज़ बचा सकती थी? हम क्या बेहतर करें कि अगर फिर से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो वही अन्याय दुबारा न हो?

इन सवालों के स्पष्ट जवाब तो यही हैं कि राज्य की क्षमता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किए जाने वाले निवेश में सुधार होना चाहिए। लेकिन अगर स्थिति को बदलने वाले एक समाधान की बात करना हो तो वह है, सक्रिय नागरिकता की अवधारणा। सक्रिय नागरिकता क्या है और इसके लिए कौन-सी बातें आवश्यक हैं?

लोकतंत्र के व्यापक और गहन होने के साथ, दुनिया भर से मिलने वाला आम सबक़ यही है कि खुद नागरिक, और नागरिक मामलों में उनकी भागीदारी के स्तर इस बात को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे कि हमारा लोकतंत्र कैसा होगा। अर्थात, लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें जागरूक और सक्रिय नागरिकों की आवश्यकता है।[3] सक्रिय नागरिकता इस बात पर आधारित होती है कि नागरिकों को राज्य पर दावे करने के लिए अपने माध्यम व साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अत्यन्त बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो इसमें एक गणतंत्र के रूप में लोकतंत्र की समझ, संविधान की प्रधानता और हमारे संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक सिद्धान्त शामिल हैं। आप कह सकते हैं कि ये तो प्राथमिक अवधारणाएँ हैं, लेकिन आप बस कुछ लोगों से पूछकर देखिए कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अन्तर है और आपको जो जवाब मिलेंगे, वे आपको हैरान कर देंगे!

यहाँ उन बुनियादों को समझना मददगार होगा जिन पर आधुनिक लोकतंत्र खड़े होते हैं, अर्थात चुनावी भागीदारी, नागरिक विरोध और राज्य पर दावे करना। सामान्य रूप से हम इन्हीं तरीकों से नागरिकों के रूप में अपनी भागीदारी दर्ज करते हैं। चुनावों के शोर को देखते हुए चुनावी भागीदारी अपने आप आ जाती है और विरोध प्रदर्शन भी काफ़ी आम हैं। लेकिन उन बुनियादी सुविधाओं के लिए दावे करना जो एक राज्य/सरकार प्रदान करने के लिए बाध्य है, ऐसी चीज़ है जिस पर नागरिकों का नियंत्रण नहीं रह गया है। इसमें सक्रिय नागरिकता का चौथा तत्व जोड़ने से हमें राज्य पर दावा करने की बुनियादी बात पर फिर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिल सकती है, जिसे आसान शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि सरकार से उन चीज़ों को देने की माँग करना जो नागरिक और राज्य के सम्बन्धों की मूल प्रकृति के तहत, उसके लिए अनिवार्य हैं।

संक्षेप में कहें तो एक सक्रिय नागरिक कानून का पालन करने वाले के रूप में सभी ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा, एक जागरूक, भागीदार नागरिक भी है, जो शासन के प्रबन्धन में साथी नागरिकों, सांसदों-विधायकों और स्थानीय सरकारों के साथ काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, वॉर्ड अधिकारियों और स्थानीय निगमों के साथ काम करने वाले नागरिकों के प्रयासों की बदौलत बेंगलूरु की झीलें गन्दे इलाक़ों से तब्दील होकर शान्तिपूर्ण अभयारण्य हो गई हैं।

अपने लोकतंत्र को समझना

अधिकारों और दावों की लड़ाई में, नागरिक अक्सर खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि राज्य की मशीनरी कैसे काम करती है। परिणामस्वरूप, अत्यावश्यक सेवाओं को समझना और उनके लिए लड़ना एक दूर का सपना बनकर रह जाता है। इसलिए, अपने लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों को आत्मसात करने में हमारी मदद करने के लिए शिक्षा की यह प्रक्रिया बुनियादी स्तर पर शुरू होनी चाहिए। इन्हें बुनियादी स्तर पर सामने लाने का क्या महत्त्व है? इससे किन समस्याओं का समाधान होगा?

अधिकारों के प्रति जागरूकता

बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो यह अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में नागरिकों की मदद करेगा। जागरूकता बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब विद्यार्थी जागरूक होते हैं, तभी वे उन स्थितियों की पहचान कर सकते हैं जो आदर्श नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जब विद्यार्थियों को पता चलता है कि राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य है, तभी वे इस बात पर ध्यान देना शुरू करेंगे कि स्थानीय पुलिस उनके समुदायों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। बच्चे होने के नाते उनके लिए यह तो सम्भव नहीं कि वे पुलिस स्टेशन में जाकर कानून और व्यवस्था लागू करने की माँग करें, लेकिन वे अपने साथियों को प्रभावित करने और उनमें जागरूकता फैलाने में अवश्य सक्षम होंगे।

सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता

राज्य, बाज़ार और समाज आधुनिक लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं। रघुराम राजन अपनी पुस्तक, *द थर्ड पिलर* में, तीसरे स्तम्भ, अर्थात समाज को मज़बूत करने की वकालत करते हैं। राज्य की विफलता के कारण पिछले कुछ दशकों से समाज कमज़ोर होता जा रहा है; इसके अलावा कुछ कारण और भी हैं जैसे आर्थिक रूप से सम्पन्न होने पर नागरिक राज्य से माँग करना छोड़ देते हैं और वे सामान्य रूप से भी इन बातों के प्रति उदासीन हैं। सक्रिय नागरिकता इस तीसरे स्तम्भ को मज़बूत करने और समतावादी समाज की दिशा में वृद्धिशील परिवर्तन करने में भी मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, भले ही राज्य के पास जाति के आधार पर भेदभाव से निपटने के लिए एक नियामक ढाँचा हो, लेकिन यह भी उतना ही ज़रूरी है कि समाज भी इन मामलों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए। सामाजिक मुद्दों पर सम्वाद और जागरूकता अभियानों के माध्यम से सक्रिय नागरिकता सर्वाधिक प्रभावी और सर्वश्रेष्ठ तरीका है जिसकी सहायता से बच्चों को जागरूक और सक्रिय नागरिकों के रूप में बढ़ना सिखाया जा सकता है।

समाधान खोजना

शासन संरचनाओं, स्थानीय सरकारों और ढाँचों को समझने से विद्यार्थियों में समाधान ढूँढ़ने की मानसिकता पैदा होगी। उदाहरण के लिए, वॉर्ड-स्तरीय समितियों और उनके कार्य करने के तरीकों के बारे में जागरूक होने से विद्यार्थियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि सरकारों तक पहुँचा जा सकता है और वे जवाबदेह भी हैं। वे नए-नए समाधान सुझा सकते हैं जिनसे विशिष्ट स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सकेगा और अपने देश की विविधता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हमें वाकई एकदम स्थानीय समाधानों की ही आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एक ऐसा क्षेत्र है जो बेहद स्थानीय है और विद्यार्थी अपने आस-पड़ोस के सन्दर्भ में इससे निपटने के तरीक़े सुझा सकते हैं।

स्कूल में नागरिकता पढ़ाना

क्या और *क्यों* को सम्बोधित करने के बाद, हमें *कैसे* के बारे में बात करनी चाहिए : आखिर लोकतंत्र सहभागी नागरिकों पर ही तो निर्भर करता है। गणित और भौतिकविज्ञान के मूल सिद्धान्तों को सीखने पर तो काफी ध्यान दिया जाता है, लेकिन क्या हम इस बात पर पर्याप्त ध्यान देते हैं कि बच्चों को नागरिकता कैसे सिखाई जाए? कक्षा में रुचि और भागीदारी कैसे पैदा की जाए? चूँकि कक्षा बड़े समाज का एक सूक्ष्म रूप है, इसलिए वहाँ उपयोग किए जाने वाले साधनों और विधियों पर सोच-विचार करना उपयोगी होगा। यहाँ कुछ ऐसे तरीक़े दिए गए हैं, जिनसे हम कक्षाओं में सक्रिय नागरिकता की भावना पैदा कर सकते हैं।

दैनिक समाचार और वाद-विवाद

वैसे तो कक्षा शिक्षण का उपयोग नागरिकता, स्थानीय सरकारों और कानून बनाने की अवधारणाओं पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन क्या हम स्कूल की प्रातःकालीन सभा में प्रतिदिन समाचारों की सुर्खियाँ पढ़ने और समाचारों पर दस मिनट चर्चा करने की गतिविधि को शामिल कर सकते हैं? यदि हर सप्ताह समाचारों पर गहरी चर्चा करके, उन्हें कक्षा में सीखी जा रही अवधारणाओं से जोड़ा जाए तो विद्यार्थियों को इन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। यह साप्ताहिक अभ्यास विद्यार्थियों के बीच वाद-विवाद के रूप में हो सकता है, जिसमें वे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपना-अपना पक्ष रखें। उदाहरण के लिए, कृषि कानून और इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करना।

संसदीय प्रक्रियाओं को समझना

स्कूल स्तर के चुनाव के बाद बहस और असहमति की संस्कृति से परिचित कराने के लिए एक युवा संसद का आयोजन करने से बच्चों को संसदीय प्रणाली को समझाने में मदद मिलेगी। जिस संस्कृति में प्रश्न पूछने को आसानी-से प्रोत्साहित नहीं किया जाता, वहाँ रचनात्मक बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे बच्चों को सौदेबाज़ी, समानुभूति और समझौते के मूल्यों के बारे में महत्त्वपूर्ण सबक़ मिलेगा जो नीति-निर्माण और सार्वजनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण कौशल हैं। यह तो हुई लोकतंत्र को अमल में लाने की बात, लेकिन जिस बात को हमें सुदृढ़ करना और दोहराना चाहिए, वह यह है कि यह सब एक संविधान के ढाँचे के भीतर होता है। अगर स्कूल एक बड़ा चार्टर तैयार करें जो एक संविधान की तरह काम करे तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इससे इस तथ्य को भी बल

मिलेगा कि एक संवैधानिक गणतंत्र ही आधुनिक लोकतंत्रों को राजशाही से अलग करता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और अवधारणाओं को समझना

स्कूल, प्रत्येक बड़े चुनाव से पहले, वयस्क मताधिकार से सम्बन्धित पहलुओं को दोहरा सकते हैं और उनकी समीक्षा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वयस्क मताधिकार का इतिहास केवल '18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों...' के रूप में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि दुनिया भर के स्वतंत्रता संग्रामों या मताधिकार आन्दोलनों के ऐतिहासिक सन्दर्भ के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम पूरा करने की व्यावहारिकताएँ और दबाव इसे कठिन बना सकते हैं। सभी विषयों के साझा सूत्रों को जोड़ने के लिए हम हर सप्ताह एक समय निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मताधिकार आन्दोलनों के अध्ययन को लोकतंत्र और लैंगिक अधिकारों की जागरूकता वाले पाठों के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी तरह, भूगोल में भोजन की पद्धतियों वाले पाठों को विविधता में एकता के विषयों के साथ जोड़ा जा सकता है।

लोकतंत्र को वास्तव में गहरा करने के लिए और अन्तिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए, यह अनिवार्य है कि हम 'बच्चों को शुरू से ही ये बातें सिखाने और उन्हें विकसित होता हुआ देखने' वाले दृष्टिकोण का पालन करें और अपने बच्चों के लिए नागरिकता के पाठों में निवेश करें। ऐसे समय में जब दुनिया ने शासन के बढ़ते केन्द्रीकरण को देखा है, नागरिकों के रूप में हमें इस पहल को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। यह हम पर निर्भर है कि हम एक नया पन्ना पलटें ताकि हम उस सपने को साकार कर सकें जो हमने 70 साल पहले अपने लिए देखा था।

1 https://www.livemint.com/news/india/what-2020-did-to-india-s-inequality-11610982667419.html

2 (https://indianexpress.com/article/india/delhi-survey-school-education-govt-facilities-computers-7146867/)

3 (https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-leaf-from-stacey-abrams-book/article33156100.ecex)



सुमन जोशी वर्तमान में तक्षशिला इंस्टीट्यूशन, बेंगलूरु में प्रोग्राम मैनेजर हैं। उन्होंने अपने कैरियर में विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है – मानव संसाधन से लेकर प्रक्रिया और गुणवत्ता तक। आजकल वे सार्वजनिक नीति को लेकर बहुत उत्साहित रहती हैं। वे एक उत्साही धावक और पाठक हैं तथा एक अच्छी लेखिका बनने की यात्रा पर हैं। सुमन से sujo2906@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल

पाठ्यक्रम निर्माताओं और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को भविष्य के नागरिक के रूप में देखने की बजाय वर्तमान के नागरिक के रूप में देखें (हाओ और कोवेल, 2009)। अनुभवों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि बच्चों को यह देखने में मदद मिल सके कि वे अपने और अपने समुदायों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अभी क्या कर सकते हैं।

- ऋचा पाण्डे, कहानियों के माध्यम से सक्रिय नागरिकता का विकास करना, पेज 92